

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 149]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 मई 2023—वैशाख 19, शक 1945

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मई 2023

ला.स्वा.पार.कल्याण-0111/2022/17/मेडि-1 भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 19, 23 तथा 27 के साथ पठित मध्यप्रदेश फार्मसी परिषद् नियम, 1978 के नियम 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित राज्य फार्मसी परिषद् अधिसूचित करती हैं, अर्थात्—

राज्य फार्मसी परिषद्

अधिनियम की धारा 23 के अधीन—

अध्यक्ष —श्री संजय कुमार जैन, 62-बी, कस्तूरबा नगर, भोपाल (म.प्र.)

उपाध्यक्ष —श्री राजू चतुर्वेदी, आशा मेडिकल स्टोर, रायसेन।

अधिनियम की धारा 27 के अधीन—

कार्यकारिणी सदस्य

1. श्री गौतमचंद्र धींग, 71 रविशंकर नगर, उज्जैन (म.प्र.)
2. श्री अशोक कुमार जैन, अशोक मेडिको, गौर मूर्ति, कटरा बाजार, सागर (म.प्र.)
3. श्री सतेन्द्र सिंह चौहान, वार्ड नम्बर-12, मुखर्जी नगर, रायसेन।

भेषजी अधिनियम (फार्मसी एक्ट) 1948 की धारा 19 के खण्ड (ए) के अधीन निर्वाचित सदस्य

1. श्री गौतम धींग, 71 रविशंकर नगर, उज्जैन (म.प्र.)
2. श्री सुभाष गुलाटी, 125 साकेत नगर, इंदौर (म.प्र.)
3. श्री अशोक जैन, अशोक मेडिको, मूर्ति कटरा बाजार, सागर (म.प्र.)
4. श्री देव कुमार बड़जात्या, 1/3, मल्हारगंज, इंदौर (म.प्र.)
5. रिक्त—
6. रिक्त—

अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (बी) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्य

7. श्री संजय कुमार जैन, 62-बी, कस्तूरबा नगर, भोपाल (म.प्र.)
8. श्री सतेन्द्र चौहान, वार्ड नं. 12, मुखर्जी नगर, रायसेन (म.प्र.)
9. श्री राजू चतुर्वेदी, आशा मेडिकल स्टोर, रायसेन (म.प्र.)
10. श्री रामरतन गर्ग, रमतापुरा, सेवा नगर, ग्वालियर (म.प्र.)
11. डॉ. पवन कुमार दुबे, प्रिन्सिपल, स्वामी विवेकानन्द कॉलेज ऑफ फार्मसी, इंदौर (म.प्र.)

अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (सी), (डी), (डीडी) तथा (ई) के अधीन पदेन सदस्य

12. संचालक, चिकित्सा सेवाएं, म.प्र. शासन, भोपाल
13. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल
14. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, म.प्र. शासन, भोपाल
15. शासकीय विश्लेषक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, म.प्र. शासन, भोपाल

अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

PHFW-0111/2022/17 Medi-1 In exercise of powers conferred by rule 47 of the Madhya Pradesh Pharmacy Council Rules, 1978 read with Section 19, 23 and 27 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948) the State Government hereby, Notifies the following State Pharmacy Council, namely-

The Pharmacy Council

Under section 23 of the Act-

President – Shri Sanjay Kumar Jain, 62-B, Kasturba Nagar, Bhopal (M.P.)

Vice President - Shri Satyendra Singh Chouhan, Ward No. 12 Mukerjee Nagar Raisen

Under Section 27 of the Act-

Executive Members

1. Shri Gautam Chand Dhing, 71 Ravishankar Nagar, Ujjain (M.P.)
2. Shri Ashok Kumar Jain, Ashok Medicos, Gour Murli, Katra Bazar, Sagar (M.P.)
3. Shri Satyendra Singh Chouhan, Ward No. 12 Mukerjee Nagar Raisen

Members Nominated under clause (a) of section 19 of the Pharmacy Act-

1. Shri Gautam Chand Dhing, 71 Ravishankar Nagar, Ujjain (M.P.)
2. Shri Subhash Gulati, 125 Saket Nagar, Indore (M.P.)
3. Shri Ashok Kumar Jain, Ashok Medicos, Gour Murli, Katra Bazar, Sagar (M.P.)
4. Shri Dev Kumar Badjatya, 1/3, Malhar Ganj, Indore (M.P.)

5. Vacant

6. Vacant

Members Nominated under clause (b) of section 19 of the Pharmacy Act-

7. Shri Sanjay Kumar Jain, 62-B, Kasturba Nagar, Bhopal M.P.

8. Shri Satyendra Singh Chouhan, Ward No. 12 Mukerjee Nagar Raisen

9. Shri Raju Chaturvedi, Asha Medical Store Raisen.

10. Shri Ramratan Garg, RamtapuraSeva Nagar, Gwalior

11. Dr. Pavan Kumar Dube, Principal, Swami Vivekanand College of Pharmacy, Indore

Ex-officio member under clause (c), (d) (dd) and (e) of Section 19 of the Pharmacy Act –

12. Director, Medical Services, Govt. of M.P. Bhopal.

13. Director Public Health and Family Welfare Department, Govt. of M.P. Bhopal

14. Contractor, Food and Drugs Administration, Govt. of M.P. Bhopal.

15. Government Analyst, Food and Drugs, Administration, Govt. of M.P. Bhopal.

The notification shall come into force immediately.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव.